[2013] 1 उम. नि. प. 113

आनंद मोहन

बनाम

बिहार राज्य

10 जुलाई, 2012

न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 307, 427, 149, 147 – हत्या – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अन्य उपद्रवियों के साथ मिलकर जिला मजिस्ट्रेट की हत्या किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को मृत्यु दंडादेश तथा अन्य कुछ अभियुक्तों को भी दंडादिष्ट किया गया – मृत्यु दंडादेश निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया तथा आजीवन कठोर कारावास में परिवर्तित किया – राज्य द्वारा भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई – अभियुक्त-अपीलार्थी की अपील तथा राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलें भी खारिज की गईं ।

प्रस्तुत मामले में, ये सभी अपीलें भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत द्वारा 2007 के मृत्यु निर्देश सं. 12 और 2007 की दांडिक अपील सं. 1282, 1308, 1318, 1327, 1345 और 1354 में पटना उच्च न्यायालय के एक ही निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभि. सा. 14 अभि. सा. 11 सहित अन्य अधिकारियों के साथ रात्रि में ही 2.00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंच गया था । सदर पुलिस थाना, मुजफ्फरपुर पहुंचने के पश्चात् अभि. सा. 14 ने विस्तृत रूप से टाइप की हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में कुछ और समय लिया । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि सदर पुलिस थाना मुजफ्फरपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसने वहां मौजूद सभी अधिकारियों से सहायता ली और वास्तव में उसने 4-5 अधिकारियों के कथन अभिलिखित किए । उसने यह कथन किया है कि उसने टाइप की हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की और उसे कथनों को पूरा करने के लिए आधा घंटा लगा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में एक घंटा लगा । अभिलेख पर प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के

आधार पर, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत को स्वीकार नहीं किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 10.10 बजे अपराह्न में सदर पुलिस थाना, मुजफ्फरपुर में दर्ज कराई गई थी और इसके बजाय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य से इस संबंध में युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख पूर्व और समय पूर्व की है । हमें उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है । न्यायालय प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई मुख्य दलील पर विचार करेगा कि जब एक बार उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया था कि साक्ष्य से तारीख पूर्व और समय पूर्व होने के कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर युक्तियुक्त संदेह हो गया है तब उच्च न्यायालय को अभियोजन वृत्तांत पूर्णतया त्यक्त कर देना चाहिए था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उद्धृत किए गए किसी भी मामले में हमने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इस न्यायालय ने मात्र इस आधार पर संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत को त्यक्त कर दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख पूर्व और समय पूर्व की है । (पैरा 29 और 30)

वर्तमान मामले में, तथ्य यह शेष रह जाता है कि तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को लगभग 4.15 बजे अपराह्न में घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल से जिला मुख्यालय, वाराणसी को सूचना भेज दी गई थी कि छोटन शुक्ला के शवदाह के लिए निकाले गए जुलूस में आए लोगों ने रिवाल्वर से मृतक को क्षतिग्रस्त कर दिया है और विभिन्न यानों से हाजीपुर की ओर भाग गए हैं । अभियोजन पक्षकथन का कम से कम यह भाग, जिसका 6 दिसम्बर, 1994 के प्रातःकाल में अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई पश्चात्वर्ती टाइप की हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी उल्लेख है, मिथ्या मानकर त्यक्त नहीं किया जा सकता और न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चित करना होगा कि छोटन शुक्ला के शवदाह के लिए निकाले गए जुलूस में लोगों के बीच में ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जो मृतक को क्षति कारित करने के लिए जिम्मेदार हैं । वास्तव में उच्च न्यायालय ने भी अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संपूर्ण वृत्तांत को स्वीकार नहीं किया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित इस अभियोजन पक्षकथन को खारिज किया है कि विधिविरुद्ध जमाव गठित किया गया था और अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 उस विधिविरुद्ध जमाव के भागीदार हैं जिनका उद्देश्य मृतक की हत्या करना था । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि

मृतक की कार का जिस भीड़ ने घेराव किया था उसने पथराव करके कार को क्षतिग्रस्त किया और उसमें बैठे व्यक्तियों को कार से बाहर खींचकर क्षतियां कारित कीं और उस भीड़ ने विधिविरुद्ध जमाव का रूप ले लिया किंतु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और परिस्थितियों से यह सिद्ध नहीं होता है कि भीड़ में के ऐसे व्यक्तियों का भी सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करना था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जुलूस में आए ऐसे कुछ व्यक्ति जो घटनास्थल के निकट यानों में बैठे हुए थे, यह पता लगाने के लिए यानों से बाहर निकलकर आ सकते थे कि होहल्ला का क्या कारण है किंतु जब किसी भी व्यक्ति ने इस संबंध में ध्यान नहीं दिया कि मृतक इस मार्ग से गुजरेगा तो ये व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं हो सकते थे जिनका सामान्य आशय मृतक की हत्या करना था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इस संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि जुलूस में आए व्यक्तियों के पास आयुध थे और घटनास्थल पर जमाव के वास्तविक व्यवहार के संबंध में अपर्याप्त साक्ष्य है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के चालक और अंगरक्षक ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि सड़क के दोनों ओर अंत्येष्टि जुलूस के दौरान लोगों की भीड़ होने के कारण मृतक की कार सड़क के बाईं ओर से नहीं गुजर सकती थी और इससे यह दर्शित होता है कि मृतक की कार और उसमें बैठे व्यक्तियों पर उस भीड़ द्वारा अचानक हमला किया गया था जो खाबरा ग्राम के निकट अंत्येष्टि जुलूस को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे । उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक के चालक और अंगरक्षक ने अपने साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे यह पता चल पाता कि भीड़ किस कारण क्रोधित हुई और आहतों ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की थी जिस कारण मृतक की हत्या की गई । इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जुलूस में आए व्यक्तियों ने, जो शव के साथ-साथ मोटरयानों में चल रहे थे, विधिविरुद्ध जमाव गठित करने का उनका कोई भी सामान्य उद्देश्य नहीं था और इसलिए अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 को इस आधार पर दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि वे उस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य हैं जिसका उद्देश्य मृतक या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करना था । हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को ठीक ही खारिज किया है कि अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन

दोषसिद्धि के लिए जिम्मेदार हैं । उच्च न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन वृत्तांत को भी त्यक्त किया है कि अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 ने मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल अधिकारी, चालक और अंगरक्षक अर्थात् अभि. सा. 12, अभि. सा. 13, अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिनका उल्लेख श्रेणी-II में किया गया है, इन साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 द्वारा उकसाये जाने के अभिकथन का समर्थन नहीं किया है और पुलिस कार्मिक अर्थात् अभि. सा. 5 और अभि. सा. 9 का उल्लेख श्रेणी-I में किया गया है और इन साक्षियों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं सुना है, जो मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को उकसा रहा हो । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभिकथित 17 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से छह साक्षियों ने उकसाये जाने के बारे में नहीं कहा है और शेष ग्यारह अभियोजन साक्षियों में से छह साक्षियों ने अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 14, यह कथन किया है कि केवल अभियुक्त सं. 1 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । तदनुसार, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि केवल अभियुक्त सं. 1 ने मृतक की हत्या करने के लिए एकमात्र गोली चलाने वाले को उकसाया था और वह दंड संहिता की धारा 109 के अधीन दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है और दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन मृतक की हत्या का दंड पाने के लिए जिम्मेदार है और अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए । (पैरा 31, 32 और 33)

न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन अपराधों का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है । जुलूस के साथ चल रहे 14 साक्षियों में से केवल 4 साक्षियों ने, अर्थात् अभि. सा. 6, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 11, यह कथन

किया है कि अभियुक्त सं. 2 ने अभियुक्त सं. 1 के साथ मिलकर मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । इसी प्रकार, जुलूस के साथ चल रहे 14 साक्षियों में से केवल अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 3 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था और शेष 11 साक्षियों ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 3 ने भी मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए 14 साक्षियों में से मात्र अभि. सा. 7 और अभि. सा. 11 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 4 ने भी मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था किंतु शेष 12 साक्षियों ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 4 ने भी जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । इस न्यायालय ने जैनुल हक बनाम बिहार राज्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उकसाए जाने का साक्ष्य स्वयं में एक कमजोर साक्ष्य है और प्रायः लोगों की प्रवृत्ति वास्तविक हमलावर के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी आलिप्त करने की भी होती है कि यह भी व्यक्ति आहत पर हमला करने के लिए हमलावरों को उकसा रहा था और जब तक कि इस संबंध में साक्ष्य स्पष्ट, तर्कसम्मत और विश्वसनीय न हो तब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है जिसके संबंध में वास्तविक हमलावर को उकसाए जाने का अभिकथन किया गया है । चूंकि जुलूस के साथ चल रहे 14 अभियोजन साक्षियों में से अधिकांश लोगों ने, जिनमें असैनिक और पुलिस कार्मिक दोनों हैं, अभियोजन के इस वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 ने भी मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था, इसलिए अभियुक्त सं. 2 अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को मृतक की हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा । अतः हमारी राय में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन आरोप से दोषमुक्त करके ठीक ही किया है । न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर भी विचार किया है कि इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक पर भटकन शुक्ला द्वारा उस समय गोली चलाई गई थी जब वह जमीन पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था किन्तु चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि गोलियां उस समय चलाई गई थीं जब मृतक खड़ा हुआ था और इस आधार पर इन 10 साक्षियों का

साक्ष्य त्यक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने मृतक पर गोली चलाने के लिए अभियुक्त सं. 1 द्वारा भटकन शुक्ला को उकसाए जाने के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. 16 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि बंदूक की गोली व्यक्ति के खड़े रहने या लेटे रहने की स्थिति में भी शरीर में लग सकती है । अभि. सा. 16 ने यह कथन किया है कि क्षति सं. I कारित हो सकती है और उसके पश्चात् क्षति सं. II कारित हो सकती है । इसके अतिरिक्त क्षति सं. II से यह उपदर्शित होता है कि मृतक अपना चेहरा हिलाने की स्थिति में था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि क्षति सं. II के कारित किए जाने के पश्चात् ही क्षति सं. III कारित हो सकती है । इस प्रकार, श्री रंजीत कुमार द्वारा दी गई यह दलील खारिज नहीं की जा सकती है कि मृतक के बाएं गाल पर क्षति सं. II कारित होने के पश्चात् मृतक ने अपना चेहरा घुमाया होगा और उसके पश्चात् उसके चेहरे के बाएं पार्श्व कपालीय भाग में क्षति कारित हो सकती है । अतः हम यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते हैं कि चिकित्सीय साक्ष्य ऐसा है कि उसके आधार पर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की इस सत्यता को नकारा जा सके कि मृतक पर उस समय गोली चलाई गई थी जब वह जमीन पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था । अब न्यायालय प्रतिरक्षा पक्ष की इस दलील पर विचार करेगा कि उच्च न्यायालय ने मृतक के चालक और अंगरक्षक क्रमशः अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 के साक्ष्य पर विचार नहीं किया है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । हमने अभि. सा. 17 (चालक) के साक्ष्य का परिशीलन किया है जिसने यह कथन किया है कि जिन लोगों ने जुलूस में भाग लिया था उन्होंने मृतक की कार का घेराव किया और वे "मारो-मारो" के नारे लगा रहे थे और उन्होंने मृतक और उसके अंगरक्षक की कार से बाहर खींचा और उसके पश्चात् उन पर हमला करने लगे किन्तु वह बच गया और यान के पीछे छुप गया और पांच-छः मिनट के पश्चात् जब वह वापस आया तब उसने देखा कि जुलूस वहां नहीं है किन्तु वहां पर पुलिस अपने यानों के साथ मौजूद थी और उसने देखा कि मृतक क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और मृतक की कार उलटी हुई पड़ी है और इसके पश्चात् मृतक को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल लाया गया और यह साक्षी भी इसी गाड़ी से अस्पताल गया और उसे बाद में यह पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई है । हमने अभि. सा. 21 (अंगरक्षक) के साक्ष्य का भी परिशीलन किया है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि भीड़ मारो-मारो कहकर चिल्ला रही

थी और उन्होंने उसकी, मृतक की और चालक की पिटाई की तथा उनकी गाड़ी को उलट दिया और उन्हें क्षतियां पहुंचीं और थोड़े समय पश्चात् पुलिस वहां पहुंची और भगदड़ मच गई और पुलिस ने मृतक और इस साक्षी को अस्पताल भेजा और तब उसे पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई है । अतः अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 द्वारा भटकन शुक्ला को उकसाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है । यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 गोली चलाने की घटना से बिल्कुल भी अवगत नहीं थे और उन्हें यह आभास था कि मृतक को कार से खींचने के पश्चात् भीड़ द्वारा हमला किए जाने पर मृतक क्षतिग्रस्त हुआ है । हमारी सुविचारित राय में ऐसा प्रतीत होता है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 को यह मालूम नहीं था कि कार से बाहर खींचने और भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने के पश्चात् वास्तव में क्या हुआ था । उनके साक्ष्य के आधार पर, न्यायालय अन्य 10 साक्षियों के इस साक्ष्य को त्यक्त नहीं कर सकता है कि भटकन शुक्ला को अभियुक्त सं. 1 के उकसाए जाने पर उसने अपने रिवाल्वर से मृतक पर गोली चलाई थी क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि मृतक की मृत्यु का कारण गोली से कारित की गई क्षति है न कि भीड़ द्वारा किया गया हमला । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है किन्तु उनके साक्ष्य से भी अभियोजन पक्षकथन अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता कि मृतक पर भटकन शुक्ला द्वारा जो गोली चलाई गई थी वह अभियुक्त सं. 1 द्वारा उकसाए जाने पर चलाई गई थी । (पैरा 34, 36 और 37)

न्यायालय ने श्री जेठमलानी द्वारा दी गई इस दलील पर विचार करेगा कि चूंकि अभियुक्त सं. 1 कंटेसा कार में बैठा हुआ था जो जुलूस के सामने थी और मृतक की हत्या जुलूस के बीचोबीच हुई, इसलिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को असंभावी मानकर त्यक्त कर दिया जाना चाहिए । अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मृतक पर गोली चलाए जाने के समय पर अभियुक्त सं. 1 घटनास्थल पर था और मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसा रहा था । यदि अभियुक्त सं. 1 न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहता था कि घटना के समय पर वह जुलूस के सामने चल रही कंटेसा कार में था न कि घटनास्थल पर, तब उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने कथन में भी यह प्रतिरक्षा लेनी चाहिए थी और

इस प्रतिरक्षा के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए था । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 103 में यह उपबंध किया गया है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा । अभियोजन पक्ष ने अपने अनेक साक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध किया है कि अभियुक्त सं. 1 घटनास्थल पर मौजूद था और उसने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । यदि अभियुक्त सं. 1 यह चाहता था कि न्यायालय अभियोजन के इस वृत्तांत को संभावी न मानकर खारिज कर दे तब साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियुक्त पर पड़ता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को नहीं उकसाया था । चूंकि उसने इस भार का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करके ठीक किया है । दंडादेश के संबंध में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि मृतक जिला मजिस्ट्रेट था, उसकी हत्या कार में बैठे हुए एक अन्य जिले में अकस्मात भीड़ द्वारा और अभियुक्त सं. 1 द्वारा उकसाए जाने पर और भटकन शुक्ला द्वारा गोली चलाए जाने पर की गई है और अभियुक्त सं. 1 स्वयं में हमलावर नहीं है इसलिए आजीवन कठोर कारावास और मृत्यु दंडादेश समुचित दंड नहीं होगा । हम उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत हैं और हमारी यह राय है कि यह ऐसा विरल से विरलतम मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय अभियुक्त सं. 1 पर मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करे । हमारी सुविचारित राय में, अभियुक्त सं. 1 आजीवन कठोर कारावास के लिए जिम्मेदार है । परिणामतः, न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि न तो अभियुक्त सं. 1 द्वारा फाइल की गई अपील में और न ही राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलों में कोई सार है । (पैरा 38, 39 और 40)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 13 एस. सी. सी. 2006 : **भगलू लोध और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	20
[2010]	(2010) 10 एस. सी. सी. 259 : **अब्दुल सईद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	16,17

[2010] (2010) 8 एस. सी. सी. 407 :
वीरेन्द्र सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 18

[2010] (2010) 7 एस. सी. सी. 477 :
सिकन्दर सिंह और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 18

[2007] (2007) 7 एस. सी. सी. 625 :
गिरजा प्रसाद बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 17

[2006] (2006) 2 एस. सी. सी. 250 :
ओम प्रकाश बनाम **हरियाणा राज्य** ; 25

[2006] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2500 :
बुद्ध सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 23

[2003] (2003) 10 एस. सी. सी. 414 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **मानसिंह और अन्य** ; 30

[2003] (2003) 2 एस. सी. सी. 661 :
रिजान और अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ; 19

[2003] (2003) 2 एस. सी. सी. 518 :
अमर सिंह बनाम **बलविन्दर सिंह और अन्य** ; 15

[1997] (1997) 1 एस. सी. सी. 283 :
बिनय कुमार सिंह और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 14,17,28

[1995] (1995) 3 एस. सी. सी. 392 :
शेख इसहाक और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 28

[1991] (1991) 3 एस. सी. सी. 206 :
इरम संतोष रेड्डी और अन्य बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 15

[1988] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1158 :
अवधेश बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 20,23,30

[1980] (1980) 4 एस. सी. सी. 425 :
मरुदानल अगस्ती बनाम **केरल राज्य** ; 20,30

[1978] (1978) 4 एस. सी. सी. 371 :
गणेश भवन पटेल बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 20,25,30

[1974] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 45 :
जैनुल हक बनाम **बिहार राज्य** ; 22,34

[1964] [1964] 8 एस. सी. आर. 133 :
मसलती बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** । 17,22,35

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : **2009 की दांडिक अपील सं. 1804-1805 के साथ 2009 की दांडिक अपील सं. 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 और 1806 की भी सुनवाई की गई ।**

2007 की दांडिक अपील सं. 1345 में फाइल किए गए 2007 के मृत्यु निर्देश सं. 12 में पटना उच्च न्यायालय, पटना की खंड न्यायपीठ के तारीख 10 दिसंबर, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री राम जेठमलानी, सुरिन्दर सिंह, नागेन्द्र राय, रणजीत कुमार (ज्येष्ठ अधिवक्तागण), अशोक कुमार सिंह, कुमार रंजन, शांतनु सागर, कृपाशंकर प्रसाद, एम. पी. झा, मोहित कुमार शाह, सुश्री शिल्पी शाह, तुंगेश, गोपाल सिंह, समीर अली खां, मनीष कुमार, अनंत शर्मा, दीपक प्रभाकरण, शेख चांद साहेब, विजेन्द्र कुमार, राम इकबाल राय, हर्षवर्धन झा, दिलीप पिल्लई, बबन कुमार शर्मा, सुश्री चंदन रामामूर्ति और हरि शंकर के.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक ने दिया ।

न्या. पटनायक – ये सभी अपीलें भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत द्वारा 2007 के मृत्यु निर्देश सं. 12 और 2007 की दांडिक अपील सं. 1282, 1308, 1318, 1327, 1345 और 1354 में पटना उच्च न्यायालय के एक ही निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

तथ्य :

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 5 दिसंबर, 1994 को 10.10 बजे अपराह्न में पुलिस थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर (पूर्व) के पुलिस उपाधीक्षक श्री मोहन रजक (जिसे संक्षेप में "इत्तिलाकर्ता" कहा गया है) द्वारा टाइप की हुई रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में लिया गया । संक्षेप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है – तारीख 4 दिसंबर, 1994 की रात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर कुछ अज्ञात अपराधियों ने श्री कौशलेन्द्र कुमार शुक्ला **उर्फ** छोटन शुक्ला और उसके सहयोगियों की हत्या कर दी और तारीख 5 दिसंबर, 1994 को एस. के. एम. कालेज अस्पताल में छोटन शुक्ला और अन्य मृतकों का शवपरीक्षण किया गया । छोटन शुक्ला के समर्थक बिहार पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता थे जो अस्पताल पर एक बड़ी संख्या में एकत्र हो गए थे । कानून और व्यवस्था भंग होने की संभावना पर विचार करते हुए, सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सशस्त्र सेना और लाठीधारी सेना के साथ अस्पताल पर मौजूद रहे । शवपरीक्षण के पश्चात् शवों को जुलूस के रूप में छोटन शुक्ला के मकान पर ले गए । अर्जुन कुमार सिंह, रमेश ठाकुर, शशि शेखर ठाकुर, राम बाबू सिंह, हरेन्द्र सिंह, विजय कुमार शुक्ला **उर्फ** मुन्ना शुक्ला और अन्य व्यक्ति इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी व्यवस्था बनाए हुए थे । जब यह जुलूस छोटन शुक्ला के मकान पर पहुंचा, श्री आनन्द मोहन (विधायक) और लवली आनन्द (संसद् सदस्य) और वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों ने छोटन शुक्ला के शव पर फूल डाले । लगभग 3.30 बजे अपराह्न में छोटन शुक्ला का शव जुलूस के साथ उसके पैतृक गृह ग्राम जलालपुर, थाना लालगंज, जिला वैशाली ले गए जहां पर लगभग 5000 व्यक्ति एकत्र हो गए । इसके पश्चात्, आनन्द मोहन, लवली आनन्द, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, अखलाक अहमद, हरेन्द्र कुमार, रामेश्वर विप्लवी और अन्य व्यक्तियों ने जुलूस का नेतृत्व किया और वे सभी अलग-अलग यानों में थे । आनन्द मोहन और लवली आनन्द अपनी कंटेसा कार में थे । जुलूस के आगे-आगे एक एम्बेसडर कार और एक सफेद रंग की जिप्सी चल रही थी । जब जुलूस भगवानपुर चौक पर पहुंचा छोटन शुक्ला का शव थोड़ी देर के लिए रख दिया गया और आनन्द मोहन, लवली आनन्द और प्रोफेसर अरुण कुमार ने छोटन शुक्ला और अन्य व्यक्तियों की हत्या का बदला लेने और यदि प्रशासन इस संबंध में कोई बाधा उत्पन्न करे

तो उसे सबक सिखाने के लिए भीड़ को उकसाते हुए भाषण दिया । भाषण सुनने के पश्चात्, लोग आक्रामक हो गए । इसके पश्चात् जुलूस भगवानपुर चौक की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते रामदयाल नगर की ओर चल दिया । लगभग 4.15 बजे अपराह्न में खबरा ग्राम के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया, जुलूस के बीच "मारो-मारो" की आवाज सुनाई दी । जब इत्तिलाकर्ता अन्य अधिकारियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उन्होंने देखा कि सड़क के दाईं ओर जी. कृष्णय्या, जिला मजिस्ट्रेट गोपालगंज की कार (जो सामने की ओर से आ रही थी) उलट गई और जिला मजिस्ट्रेट जमीन पर पड़ा हुआ था । उन्होंने आनन्द मोहन, लवली आनन्द, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को भी देखा और कुछ अन्य व्यक्ति भुटकन शुक्ला (जो छोटन शुक्ला का भाई है) को जिला मजिस्ट्रेट की हत्या करने और बदला लेने के लिए उकसा रहे थे । इसके पश्चात् भुटकन शुक्ला ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाला और तीन फायर किए और इसके पश्चात् भीड़ में घुस गया । जिला मजिस्ट्रेट क्षतिग्रस्त हो गया था । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उपखंड अधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्व) ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और पुलिस तथा अन्य अधिकारियों ने भीड़ पर लाठियां मारनी शुरू कर दीं । जिला मजिस्ट्रेट, गोपालगंज को उपचार के लिए जिप्सी से एस. के. एम. कालेज अस्पताल भेजा । जिला वैशाली के मुख्यालय को इस घटना के संबंध में वायरलैस के माध्यम से सूचना भेजी । इसी दौरान, हमलावर हाजीपुर भाग गए और इत्तिलाकर्ता तथा उपखंड अधिकारी मुजफ्फरपुर (पूर्व) ने हमलावरों को पीछा किया और वे हाजीपुर पहुंचे जहां पर आनन्द मोहन और लवली आनन्द सहित 15 व्यक्तियों को हाजीपुर पुलिस द्वारा पकड़ा गया । सभी 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके यानों को अभिगृहीत किया गया । इत्तिलाकर्ता के मुजफ्फरपुर वापस आने के पश्चात्, उसे यह सूचना मिली कि जिला मजिस्ट्रेट गोपालगंज की मृत्यु एस. के. एम. कालेज अस्पताल में हो गई है ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में अन्वेषण किया गया और 36 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर ने मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । सेशन न्यायालय ने श्री जी. कृष्णय्या, जिला मजिस्ट्रेट, गोपालगंज (जिसे संक्षेप में "मृतक" कहा गया है) की हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए सभी 36

अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/149 और धारा 147 के अधीन आरोप विरचित किए तथा फोटोग्राफर, अंगरक्षक और मृतक के चालक की हत्या का प्रयास कारित करने के सामान्य आशय के साथ विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन आरोप विरचित किया । सभी 36 अभियुक्तों को मृतक की हत्या कारित किए जाने को दुष्प्रेरित करने के लिए 302/109 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया । आनंद मोहन, लवली आनंद और प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह (क्रमशः अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3) को दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन भी आरोपित किया गया ।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 25 साक्षियों की परीक्षा की है । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 14 पुलिस अधिकारी हैं जो घटना के घटित होने के समय तक जुलूस के साथ या जुलूस के पीछे चलते हुए बताए गए हैं । अभि. सा. 15, अभि. सा. 16 और अभि. सा. 23 चिकित्सक हैं जिन्होंने क्षति रिपोर्टें और शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित किए हैं । अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 क्रमशः मृतक के चालक और अंगरक्षक हैं । अभि. सा. 18 और अभि. सा. 19 न्यायालयिक प्रयोगशाला, पटना के क्रमशः निदेशक और कर्मचारी हैं जिन्होंने रक्त-रंजित मिट्टी और कांच के टुकड़े घटनास्थल से एकत्र किए थे । अभि. सा. 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जो जुलूस के साथ था । अभि. सा. 22 सहायक उप निरीक्षक, जिला मुजफ्फरपुर है जिसने तारीख 14 दिसम्बर, 1994 से 16 दिसम्बर, 1994 तक अन्वेषण किया । अभि. सा. 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर है, जिसने कुछ घंटों के लिए मामले का अन्वेषण किया है और अभि. सा. 24 द्वितीय अन्वेषक अधिकारी है । प्रतिरक्षा पक्ष ने भी विचारण के दौरान 12 साक्षियों की परीक्षा की है ।

5. अपर सेशन न्यायाधीश - I , पटना (संक्षेप में "विचारण न्यायालय" कहा गया है) ने आनंद मोहन, लवली आनंद, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, अखलाक अहमद, विजय कुमार शुक्ला **उर्फ** मुन्ना शुक्ला, हरेन्द्र कुमार **उर्फ** हरेन्द्र प्रसाद साही और शशि शेखर ठाकुर (क्रमशः अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3, अभियुक्त सं. 4, अभियुक्त सं. 5, अभियुक्त सं. 6 और अभियुक्त सं. 7) दंड संहिता की धारा 147, 302/149, 307/149 और 427/149 के अधीन दोषी पाया । विचारण न्यायालय ने भी आनंद मोहन, लवली आनंद, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह

और अखलाक अहमद (क्रमशः अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4) को भी दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन हत्या का दुष्प्रेरण कारित करने के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया है। विचारण न्यायालय ने शेष अभियुक्तों अर्थात् अभियुक्त सं. 8 से अभियुक्त सं. 36 को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। दंडादेश के प्रश्न पर सुनवाई किए जाने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/149 और धारा 302/109 के अधीन अपराध कारित करने के लिए मृत्यु दंडादेश दिया और दंड संहिता की धारा 147 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास, दंड संहिता की धारा 307/147 के अधीन पांच वर्ष का कठोर कारावास और दंड संहिता की धारा 427/149 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया और सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलने का निदेश दिया। तथापि, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 को दंड संहिता की धारा 302/149 और धारा 302/109 के अधीन आजीवन कारावास और 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, धारा 147 के अधीन अपराध कारित करने के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास, दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्ष का कठोर कारावास और दंड संहिता की धारा 427/149 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया और सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर दो वर्ष की अवधि का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया। विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त सं. 5, अभियुक्त सं. 6 और अभियुक्त सं. 7 को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया और प्रत्येक को 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया, दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन अपराध के लिए पांच वर्ष का कठोर कारावास भोगने, दंड संहिता की धारा 147 के अधीन एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने और दंड संहिता की धारा 427/149 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर दो वर्ष का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया और सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया।

6. अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दिया

गया मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया । दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपीलें भी फाइल की गईं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित एक ही निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक या अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव के मामले को सिद्ध नहीं किया है और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 147 और धारा 302/149 के अधीन कोई भी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । तथापि, उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 14 के साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त सं. 1 ने गोली चलाने वाले अकेले व्यक्ति को मृतक की हत्या करने के लिए उकसाया है और केवल वही दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है । तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 से अभियुक्त सं. 7 को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया है और अभियुक्त सं. 1 की दोषसिद्धि को बनाए रखा है किन्तु अभियुक्त सं. 1 के मृत्यु दंडादेश को कठोर आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया है ।

7. इस आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्त सं. 1 ने 2009 की दांडिक अपील सं. 1804-1805 फाइल की जिनमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को इसलिए चुनौती दी है कि उच्च न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन उसकी दोषसिद्धि को कायम रखा है और उस पर कठोर आजीवन कारावास का दंड अधिरोपित किया है । बिहार राज्य ने 2009 की दांडिक अपील सं. 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 और 1806 फाइल की हैं जिनमें उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को इसलिए चुनौती दी है कि उसने अभियुक्त सं. 2 से अभियुक्त सं. 7 की दोषमुक्ति की है और अभियुक्त सं. 1 को दिए गए मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया है ।

दलीलें :

8. अभियुक्त सं. 1 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री राम जेठमलानी ने यह दलील दी है कि यह घटना तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 4.15 बजे अपराह्न में घटित हुई है और इसके तत्काल पश्चात् सूचना जिला मुख्यालय, वैशाली को वायरलैस द्वारा भेजी गई थी और इस प्रकार यह सूचना वास्तविक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है और इससे घटना का प्रथम वृत्तांत प्रकट होता है । काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह

दलील दी है कि वायरलैस-संदेश जिला वैशाली के जिला मुख्यालय को घटना के तत्काल पश्चात् भेजा गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया था कि जो व्यक्ति छोटन शुक्ला के दाह-संस्कार के जुलूस में शामिल हुए थे उन्होंने रिवाल्वर से मृतक पर गोलियां चलाकर उसे क्षतिग्रस्त किया था और वे विभिन्न यानों से हाजीपुर की ओर भाग गए थे और यही मामले की वास्तविक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है किन्तु उच्च न्यायालय ने मामले की इस वास्तविक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है ।

9. काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस वायरलैस संदेश के बजाय इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 14 की टाइप की हुई रिपोर्ट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना गया है । उन्होंने यह दलील दी है कि अभि. सा. 14 की टाइप की हुई रिपोर्ट जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना गया है, पुलिस थाना, सदर में तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 10.10 बजे अपराह्न में दर्ज कराई गई बताई गई है किन्तु अभि. सा. 11 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 14 तारीख 6 दिसम्बर, 1994 को 2.00 बजे पूर्वाह्न के पश्चात् ही मुजफ्फरपुर को वापस चला गया था । उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पर यह विचार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उप पुलिस अक्षीक्षक श्री धीरज कुमार के नाम का उल्लेख अन्वेषक अधिकारी के रूप में किया गया है जिसने छुट्टी से लौटने के पश्चात् तारीख 6 दिसम्बर, 2004 को कार्यभार संभाला था और इस मामले का अन्वेषण प्रथम अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 25) से 8.15 बजे पूर्वाह्न में ग्रहण किया था । उन्होंने यह दलील दी है कि इन सभी तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि केवल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ही तारीख पूर्व और समय पूर्व अर्थात् 5 दिसम्बर, 1993, 10.10 बजे अपराह्न की नहीं है अपितु अभि. सा. 14 द्वारा अभियुक्त सं. 1 और उसकी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के विरुद्ध राजनीतिक उच्च अधिकारियों के कहने पर मिथ्या अभिकथन करके गढ़ी गई है । उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह संदेह करने के लिए साक्ष्य है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख पूर्व की और समय पूर्व की है जिससे यह निष्कर्ष निकलना चाहिए कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन, जैसा कि अभि. सा. 14 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कहा गया है, मिथ्या है ।

10. श्री जेठमलानी ने यह भी दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने

अभियोजन का यह वृत्तांत ठीक ही खारिज किया है कि मृतक की हत्या के उद्देश्य के साथ विधिविरुद्ध जमाव गठित किया गया था, अतः दंड संहिता की धारा 147 और 302/149 के अधीन अपराध किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बनता है । उन्होंने यह दलील दी है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर, उच्च न्यायालय अभियुक्त सं. 1 को इस आधार पर दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी ठहरा ही नहीं सकता था कि अभियुक्त सं. 1 ने हत्या कारित करने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । उन्होंने यह दलील दी है कि लगभग सभी अभियोजन साक्षियों ने यह अभिकथन किया है कि मृतक पर भटकन शुक्ला द्वारा गोली नहीं चलाई गई थी जब वह क्षतिग्रस्त अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था किन्तु चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि उस पर उस समय गोली चलाई गई थी जब वह खड़ा हुआ था और इस प्रकार अभियोजन साक्षियों ने वास्तव में घटना नहीं देखी है और न ही उन्होंने अभियुक्त सं. 1 द्वारा मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को किसी भी प्रकार से उकसाने वाली बात नहीं सुनी थी । उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाल कर कि अभि. सा. 11 मिथ्या साक्षी है, ऐसे अन्य साक्षियों पर विश्वास नहीं कर सकता था जिन्होंने उस बात का समर्थन किया है जो अभि. सा. 11 द्वारा उसके साक्ष्य में कही गई है । उन्होंने अभि. सा. 11 द्वारा तैयार की गई पुलिस थाने की डायरी प्रविष्टि सं. 92, 94, 97 और 102 का अवलंब लिया है जिससे यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 11 छोटन शुक्ला की शव यात्रा में शामिल ही नहीं था अपितु वह किसी अन्वेषण के संबंध में विश्वविद्यालय गया हुआ था जहां पर वह पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात था ।

11. उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय इस पर विचार करने में असफल रहा है कि अभियुक्त सं. 1 सफेद रंग की कंटेसा कार में अपनी पत्नी अभियुक्त सं. 2 के साथ था जो जुलूस के लगभग आगे की ओर किन्तु पुलिस कार के पीछे चल रही थी और छोटन शुक्ला और एक अन्य व्यक्ति के शव को लेकर टाटा मैक्सी चल रही थी, जुलूस के पीछे की ओर से “मारो-मारो” की आवाज आई और सभी साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वे वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि कार उलटी हुई पड़ी है और मृतक जमीन पर क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है । उन्होंने यह दलील दी है कि अभियुक्त सं. 1 (आनंद मोहन) के अपनी कंटेसा कार से बाहर आकर घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व ही मृतक की मृत्यु हो चुकी थी

और अभियोजन का यह संपूर्ण वृत्तांत अवश्य ही मिथ्या होना चाहिए कि मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त सं. 1 ने भटकन शुक्ला को उकसाया था ।

12. श्री जेठमलानी ने यह दलील थी कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में असफल रहा है :–

(i) इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त सं. 1 मृतक को जानता था और इसलिए जब मृतक की कार विपरीत दिशा से आई और कंटेसा कार जिसमें अभियुक्त सं. 1 बैठा हुआ था, के आगे से गुजरी तब उसे यह पता नहीं था कि वह मृतक ही है जो कार में बैठा हुआ है और इस बात का कोई कारण नहीं है कि उसने मृतक की हत्या करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसाया था ;

(ii) इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त सं. 1 अपनी कंटेसा कार से निकलकर बाहर आया जो जुलूस के आगे-आगे चल रही थी और मृतक की हत्या के उकसाने के लिए जुलूस की पीछे की ओर गया ;

(iii) अभियुक्त सं. 1 द्वारा प्रकोपनकारी भाषण भगवानपुर चौक पर दिया गया था और पुलिस अधिकारी ही ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त सं. 1 द्वारा दिए गए इस प्रकोपनकारी भाषण के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है और उनका यह अभिसाक्ष्य कि भाषण प्रकोपनकारी था यह केवल पुलिस अधिकारियों का अपना मत है और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 को दोषसिद्ध करने के लिए उसके प्रकोपनकारी भाषण का अवलंब न लेकर ठीक ही किया है ;

(iv) गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उकसाए जाने के संबंध में दिए गए साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास हैं और इस प्रकार उच्च न्यायालय को अभियोजन के इस वृत्तांत को अभिखंडित कर देना चाहिए था कि अभियुक्त सं. 1 ने मृतका की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था ।

(v) अभियोजन का यह वृत्तांत कि जुलूस प्रशासन से बदला लेना चाहता था, स्वतंत्र साक्षी उपखंड अधिकारी श्री तारा रजक (अभि. सा. 12) द्वारा, जो जुलूस के साथ-साथ चल रहा था, मिथ्या ठहराया गया है ;

(vi) उच्च न्यायालय ने मृतक के चालक और अंगरक्षक क्रमशः अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 के साक्ष्य पर विचार नहीं किया है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

उन्होंने यह दलील दी है कि यदि उच्च न्यायालय ने इन परिस्थितियों पर विचार किया होता, तो वह अभियुक्त सं. 1 को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर देता ।

13. बिहार राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री रंजीत कुमार ने यह दलील दी है कि न्यायालय को उन तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए था जिनके कारण इस मामले की घटना घटित हुई है । उन्होंने यह दलील दी है कि छोटन शुक्ला बिहार पीपुल्स पार्टी की ओर से राज्य विधान सभा निर्वाचन में उम्मीदवार था और अभियुक्त सं. 1 तथा अभियुक्त सं. 2 इस पार्टी के नेता हैं और तारीख 4 दिसंबर, 1994 को छोटन शुक्ला और उसके चार सहयोगियों की मुजफ्फरपुर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई । उन्होंने यह दलील दी है कि तारीख 5 दिसंबर, 1994 को एस. के. एम. कालेज अस्पताल पर छोटन शुक्ला और अन्य व्यक्तियों के शव, शवपरीक्षण के लिए लाए गए थे और वहां पर जो भीड़ एकत्र हुई थी वह बिहार पीपुल्स पार्टी के लोग थे और जो जुलूस छोटन शुक्ला और अन्य व्यक्तियों के शवों के साथ निकाला गया था उसका उद्देश्य अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2 तथा उनके सहयोगियों द्वारा राजनैतिक शक्ति दर्शाना था । उन्होंने यह दलील दी है कि अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2 और बिहार पीपुल्स पार्टी के अन्य व्यक्तियों द्वारा भगवानपुर चौक पर दिए गए प्रकोपनकारी भाषण ने रक्तपात द्वारा बदला लेने के लिए लगभग 5000 व्यक्तियों की भीड़ की भावनाओं को भड़काया और सामने आ रही मृतक की कार पर हिंसा किए जाने का यही कारण था और उस समय जुलूस ग्राम खाबरा के निकट पहुंचा था । उन्होंने यह दलील दी है कि हिंसक भीड़ ने कार में बैठे व्यक्तियों को बाहर खींच लिया, उनकी पीटाई की, कार को उलट दिया और अंत में भटकन शुक्ला ने मृतक को अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 4 के उकसाए जाने पर गोली मार दी क्योंकि मृतक राज्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहा था । उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने इन पृष्ठभूमिक तथ्यों का मूल्यांकन नहीं किया है जिनके कारण मृतक की हत्या हुई और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 से अभियुक्त सं. 7 को दोषमुक्त कर दिया है और केवल अभियुक्त सं. 1 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन

दोषसिद्ध किया है ।

14. श्री जेठमलानी ने यह दलील दी है कि वायरलैस-संदेश जिला मुख्यालय, वैशाली को तारीख 5 दिसंबर, 1994 को घटना के तत्काल पश्चात् भेजा गया था और वह संदेश वास्तविक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है जिसका उत्तर देते हुए श्री रंजीत कुमार ने यह दलील दी है कि वायरलैस-संदेश अत्यंत अस्पष्ट था और उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है । उन्होंने **बिनय कुमार सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी से प्राप्त की गई ऐसी किसी भी अस्पष्ट सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है जिससे कोई भी प्रामाणिक संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट न होता हो और भारसाधक अधिकारी घटना से संबंधित और अधिक ब्यौरे, यदि उपलब्ध हों, प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है ताकि वह इस पर विचार कर सके कि क्या ऐसा कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है या नहीं जिसमें अन्वेषण की आवश्यकता हो ।

15. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में, उन्होंने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 14) के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिससे यह दर्शित होता है कि सबसे पहले उसे मृतक को जिप्सी कार से उपचार के लिए एस. के. एम. कालेज अस्पताल भेजना पड़ा था और उसे अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए हाजीपुर जाना पड़ा था और अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में हाजीपुर लाने के पश्चात् ही वह मुजफ्फरपुर वापस आया और उसने टाइप की हुई रिपोर्ट तैयार की तथा उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में पुलिस थाना, सदर में रात्रि में ही लगभग 10.00 बजे अपराह्न में दर्ज कराई । उन्होंने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है । उन्होंने **इरम संतोष रेड्डी और अन्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले को उद्धृत किया है जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में छह घंटों का विलंब हुआ है और अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि पुलिस को छापा मारना पड़ा था, बरामदगियां करनी

---

[1] 1997) 1 एस. सी. सी. 283.

[2] (1991) 3 एस. सी. सी. 206.

थीं और इसके पश्चात् संबद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और इन तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के कारण कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । उन्होंने यह दलील दी है कि **अमर सिंह** बनाम **बलविन्दर सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में घटना के समय से 26 घंटों का हुआ विलंब अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से पूर्णतया स्पष्ट हो गया है, अतः अभियोजन पक्ष के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

16. श्री रंजीत कुमार ने यह दलील दी है कि चिकित्सीय साक्ष्य से संपूर्ण प्रत्यक्ष साक्ष्य असंभावी नहीं होता है । उन्होंने यह तर्क दिया है कि विभिन्न साक्षियों के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में यह उल्लेख है कि भटकन शुक्ला भीड़ से निकलकर बाहर आया और उसने तीन गोलियां चलाईं और अभि. सा. 16 ने, जिसने शव-परीक्षा की है, यह कथन किया है कि मृतक के शव में गोली से कारित की हुई तीन क्षतियां पाई गई हैं । उन्होंने यह दलील दी है कि पहली गोली लगने के पश्चात् मानव शरीर की क्या स्थिति होगी यह कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है और इसीलिए मृतक के शरीर में पाई गई ऐसी क्षतियों की प्रकृति से, जो निकट से गोली चलाकर कारित की गई थी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मृतक के जमीन पर गिरने के पश्चात् उस पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी, जैसा कि श्री जेठमलानी ने दलील दी है । उन्होंने **अब्दुल सईद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत किया है जिसमें यह प्रतिपादना की गई है कि प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में अधिक महत्व रखता है । उन्होंने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की सच्चाई को नकारने के लिए चिकित्सीय साक्ष्य का उपयोग नहीं किया जा सकता ।

17. उन्होंने यह दलील दी है कि इस मामले में मौखिक साक्ष्य इस संबंध में संगत है कि अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 ने न केवल प्रशासन के विरुद्ध प्रकोपनकारी भाषण दिए हैं और रक्तपात करने के लिए भीड़ की भावनाओं को भड़काया है

---

[1] (2003) 2 एस. सी. सी. 518.

[2] (2010) 10 एस. सी. सी. 259.

अपितु भटकन शुक्ला को मृतक पर जो राज्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, गोली चलाने के लिए भी उकसाया है । उन्होंने अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जिन्होंने प्रकोपनकारी भाषणों और अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 4 को उकसाए जाने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । उन्होंने **मसलती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले को उद्धृत किया है जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जब दांडिक न्यायालय को बड़ी संख्या में अपराधियों और आहतों से संबंधित अपराध कारित किए जाने के बारे में साक्ष्य पर विचार करना होता है तब आम तौर पर यह तरीका अपनाया जाता है कि दोषसिद्धि केवल तभी कायम रखी जा सकती है जब उसका ऐसे दो या तीन या उससे अधिक साक्षियों द्वारा समर्थन होता हो जिन्होंने घटना का संगत रूप से वर्णन किया है । उन्होंने **बिनय कुमार सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** (उपरोक्त) और **अब्दुल सईद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के विनिश्चयों को भी निर्दिष्ट किया है जिनमें उस कसौटि को अपनाया गया है जिसे **मसलती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में दोहराया गया है । उन्होंने यह दलील दी है कि दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय ने पुलिस साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराया है और असैनिक अधिकारियों के ही साक्ष्य को वरियता दी है और अभियुक्त सं. 2 से अभियुक्त सं. 7 को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया है और केवल अभियुक्त सं. 1 की दोषसिद्धि को कायम रखा है यद्यपि अभियुक्त सं. 2 से अभियुक्त सं. 7 के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है । उन्होंने **गिरजा प्रसाद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले को उद्धृत किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि के अनुसार ऐसा नहीं है कि पुलिस साक्षियों पर विश्वास न किया जाए और उनके साक्ष्य को तब तक स्वीकार न किया जब तक कि महत्वपूर्ण विशिष्टियों पर अन्य स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से उसकी संपुष्टि न हो जाए ।

18. उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने भी अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 को इस आधार पर दंड संहिता की धारा 147 और 302/149 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया है कि मृतक या अन्य किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ कोई भी

---

[1] [1964] 8 एस. सी. आर. 133.

[2] (2007) 7 एस. सी. सी. 625.

विधिविरुद्ध जमाव गठित नहीं किया गया था । उन्होंने **सिकन्दर सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] और **वीरेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में किए गए विनिश्चयों को यह दलील देते हुए उद्धृत किया है कि अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 ने मृतक और कार में बैठे अन्य व्यक्तियों की अचानक हत्या के सामान्य आशय के साथ विधिविरुद्ध जमाव गठित किया है ।

19. उन्होंने **रिजान और अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[3] वाले मामले में किए गए इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब यह दलील देते हुए लिया है कि संप्रेक्षण की सामान्य गलतियां स्मरणशक्ति की सामान्य त्रुटियां समय बीतने के साथ-साथ हो जाती हैं और घटना के समय पहुंची मानसिक क्षति के कारण साधारण विरोधाभास साक्ष्य में आ ही जाते हैं किन्तु इन विरोधाभासों से किसी साक्षी का साक्ष्य असत्य नहीं हो जाता है और केवल सारभूत विरोधाभास के आधार पर ही किसी पक्षकार की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है । उन्होंने यह दलील दी है कि ऐसे विभिन्न साक्षियों के साक्ष्य में, जिन्होंने घटना का वैसा ही वर्णन किया है जैसा कि उन्होंने घटना के समय विभिन्न स्थानों से घटना को देखा था, उच्च न्यायालय ने छोटे-मोटे और साधारण विरोधाभासों को अनदेखा किया होता तो यह निष्कर्ष निकलता कि दंड संहिता की धारा 302/149 और 302/109 के अधीन अपराध कारित करने में अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 के आलिप्त होने के संबंध में संगत साक्ष्य दिया है । उन्होंने यह दलील दी है कि इसीलिए उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को अपास्त नहीं कर सकता था और वह अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दिए गए मृत्यु दंडादेश को भी कायम रखना चाहिए था ।

20. 2009 की दांडिक अपील सं. 1536, 1537, 1538, 1540, 1541 और 1542 में प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपने उत्तर में यह दलील दी है कि यह तथ्य कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के तत्काल पश्चात् अर्थात् तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 4.15 बजे अपराह्न में दर्ज नहीं कराई गई है जिससे

---

[1] (2010) 7 एस. सी. सी. 477.

[2] (2010) 8 एस. सी. सी. 407.

[3] (2003) 2 एस. सी. सी. 661.

यह उपदर्शित होता है कि इत्तिलाकर्ता और अन्य सभी अधिकारियों का, जो जुलूस के साथ चल रहे थे, इस बात से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था कि मृतक की हत्या किसने की । उन्होंने **भगलू लोध और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा घटना की तत्काल और समय से की गई विस्तृत रिपोर्ट से उसकी सत्यता सुनिश्चित हो जाती है और जहां बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई जाती है वहां यह उपधारण किया जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथन मिथ्या हैं और उसमें घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वह बनावटी है । उन्होंने **अवधेश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई थी क्योंकि हमलावरों के नाम मालूम नहीं थे और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व अत्यधिक सोच-विचार किया गया था और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है । उन्होंने **गणेश भवन पटेल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामले को भी उद्धृत किया है जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने में असामान्य विलंब हुआ है और महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने में भी विलंब हुआ है जिससे अभियोजन वृत्तांत के संपूर्ण सार की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है । उन्होंने यह दलील दी है कि **मरुदानल अगस्ती** बनाम **केरल राज्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया है और यह पाए जाने पर उसे दोषमुक्त किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कूटरचित है और घटना के काफी समय बाद दर्ज कराई गई है ।

21. उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 के विरुद्ध विधिविरुद्ध जमाव का कोई भी मामला नहीं बनता है । उन्होंने यह दलील दी है कि भगवानपुर चौक पर दिए गए भाषण प्रकोपनकारी नहीं हैं अपितु

---

[1] (2011) 13 एस. सी. सी. 2006.
[2] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1158.
[3] (1978) 4 एस. सी. सी. 371.
[4] (1980) 4 एस. सी. सी. 425.

आलंकारिक हैं और चूंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जुलूस में पूरे समय मौजूद था इसलिए किसी भी स्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने भगवानपुर चौक पर या खाबरा पर जहां घटना घटित हुई थी, विधिविरुद्ध जमाव गठित किया था ।

22. उन्होंने अभि. सा. 12 और अभि. सा. 13 के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया है जो उपखंड अधिकारी हैं और अभि. सा. 21 जो मृतक का अंगरक्षक है, के साक्ष्यों से यह दर्शित होता है कि इन स्वतंत्र साक्षियों ने मृतक की हत्या करने के लिए भटकन को अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 द्वारा उकसाए जाने के बारे में कोई भी बात नहीं कही है । उन्होंने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य इस मुद्दे पर संगत नहीं है कि मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को किसने उकसाया था, अतः **मसलती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में किया गया इस न्यायालय का विनिश्चय वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा । उन्होंने यह दलील दी है कि **जैनुल हक** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उकसाए जाने का साक्ष्य स्वयं में एक कमजोर साक्ष्य है और प्रायः लोगों की प्रवृत्ति वास्तविक हमलावर के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी आलिप्त करने की होती है कि यह व्यक्ति भी आहत पर हमला करने के लिए हमलावरों को उकसा रहा था और जब तक कि इस संबंध में साक्ष्य स्पष्ट, तर्कसम्मत और विश्वसनीय न हो तब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है जिसके संबंध में वास्तविक हमलावर को उकसाए जाने का अभिकथन किया गया है । उन्होंने यह दलील दी है कि इस विनिश्चय में अधिकथित विधि की प्रतिपादना और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस संबंध में विरोधाभास हैं कि मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को किसने उकसाया था इसलिए अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 की दोषसिद्धि अनुचित नहीं होगी ।

23. उन्होंने यह दलील दी है कि यदि, जैसाकि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है कि मृतक उस समय जमीन पर पड़ा हुआ था जब उस पर भटकन शुक्ला ने गोली चलाई थी, तब मृतक पर पहली क्षति किसी भी स्थिति में गोली से कारित नहीं हो सकती थी, अतः साक्षियों ने मिथ्या कथन दिया है । उन्होंने **अवधेश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (उपरोक्त)

---

[1] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 45.

वाले मामले को उद्धृत किया है जिसमें इस न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर चिकित्सक की राय के कारण विश्वास नहीं किया है कि जिस व्यक्ति ने मृतक को क्षतियां कारित की हैं वह मृतक की तुलना में अधिक ऊंचाई पर खड़ा हुआ था और यह चिकित्सीय राय प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य के साथ पूर्णतया असंगत है और चिकित्सा विशेषज्ञ की राय से अन्य परिस्थिति की संपुष्टि होती है जिससे यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने वास्तविक घटना नहीं देखी है । उन्होंने **बुद्ध सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि क्षति की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है और इससे अभियोजन साक्षियों के कथन मिथ्या हो जाते हैं कि अभियुक्त और मृतक खड़े हुए थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे ।

24. उन्होंने अंतिमतः यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि यद्यपि जुलूस मुजफ्फरपुर से चला था और भाषण भगवानपुर चौक पर दिए गए थे फिर भी घटना खाबरा ग्राम में घटित हुई थी और कार पलट गई थी तथा मृतक को जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा गोली नहीं लग सकती थी किन्तु खाबरा ग्राम की भीड़ में से किसी भी व्यक्ति द्वारा गोली लग सकती थी जो जुलूस देखने के लिए शामिल हुआ था ।

25. 2009 की दांडिक अपील सं. 1539 (अभियुक्त सं. 4 अर्थात् अखलाक अहमद) में प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री नागेन्द्र राय ने यह दलील दी है कि साक्ष्य में यह आया है कि बिहार का मुख्यमंत्री एस. के. एम. कॉलेज और अस्पताल, मुजफ्फरपुर में मौजूद था । काउंसेल ने **ओम प्रकाश** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को उद्धृत किया है जिसमें इस न्यायालय ने घटनास्थल पर लगभग 3 घंटे तक पुलिस उपनिरीक्षक के मौजूद रहने पर विचार किया है और इस तथ्य पर भी विचार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए लंबे विलंब के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया है । उन्होंने **गणेश भवन पटेल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले का भी अवलंब

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2500.

[2] (2006) 2 एस. सी. सी. 250.

लिया है जिसमें इस न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने में हुए विलंब पर अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त करने के लिए परिस्थिति के रूप में विचार किया है ।

26. उन्होंने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि मृतक या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या के उद्देश्य के साथ कोई भी विधिविरुद्ध जमाव गठित नहीं किया गया था । उन्होंने यह दलील दी है कि अभियुक्त व्यक्ति मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला के उद्देश्य में भाग नहीं ले सकते थे, अतः ऐसा कोई भी 'सामान्य उद्देश्य' नहीं है जो विधिविरुद्ध जमाव का आवश्यक संघटक हो और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 147 और 302/149 के अधीन अपराध अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं बनते हैं ।

27. उन्होंने अभि. सा. 12, अभि. सा. 13 और अभि. सा. 20 के साक्ष्यों को भी यह दर्शाने के लिए भी निर्दिष्ट किया है कि इन साक्षियों ने अभियोजन के इस पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है कि उनके सामने मृतक की हत्या हुई है और उन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उनके घटनास्थल पर पहुंचने से पहले घटना घटित हो चुकी थी । उन्होंने यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 ने भी यह कथन किया था कि घटनास्थल पर जहां गोली चलाई गई थी, कोई भी पुलिस कार्मिक नहीं पहुंचा था । उन्होंने यह दलील दी है कि अभि. सा. 21 जो कि मृतक का अंगरक्षक है, और अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी है, ने अभियोजन के पक्षकथन का इस संबंध में समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । उन्होंने यह दलील दी है कि यह विश्वास करना कठिन होगा कि यदि मृतक की हत्या पुलिस कार्मिकों की मौजूदगी में होती तो वे उसे नहीं रोकते । उन्होंने अंतिम रूप से यह दलील दी है कि फोटोग्राफर की जो मृतक के साथ था, यद्यपि एक महत्वपूर्ण साक्षी है, न्यायालय में परीक्षा नहीं की गई है और अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने न्यायालय में साक्ष्य देने से फोटोग्राफर को रोका है ।

निष्कर्ष :

28. विनिश्चित किए जाने के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को घटना के तत्काल पश्चात् भेजा गया

वायरलैस संदेश वास्तविक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है जैसा कि प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रतिवाद किया गया है या मुजफ्फरपुर सदर पुलिस थाने में अभि. सा. 14 द्वारा पश्चात्‌वर्ती रूप से दर्ज कराई गई टाइप की हुई रिपोर्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है या नहीं, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवाद किया गया है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उपबंध किया गया है, निम्न प्रकार कोट की जा रही है :–

> "(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा ।"

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 की उपधारा (1) की भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञेय अपराध कारित किए जाने के संबंध में दी गई प्रत्येक सूचना चाहे लिखित रूप में दी गई हो या उसे लिखकर संक्षिप्त किया गया हो, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी । इस प्रकार, वह व्यक्ति जो सूचना देता है और जिसने सूचना पर हस्ताक्षर किए हैं, को यह चुनना होता है कि संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने के संबंध में किस विशिष्ट सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना जाए । वर्तमान मामले में, इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 14) ने वायरलैस संदेश को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में नहीं चुना है अपितु पश्चात्‌वर्ती टाइप की हुई सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना है और पुलिस ने भी वायरलैस संदेश को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना है अपितु पश्चात्‌वर्ती टाइप की हुई सूचना को ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना है । इसके अतिरिक्त, तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को घटना के तत्काल पश्चात् भेजे गए वायरलैस संदेश में केवल यह कथन किया गया है कि छोटन शुक्ला के दाह-संस्कार के लिए निकाले गए जुलूस की भीड़ के साथ शामिल हुए लोगों ने रिवाल्वर से गोली चलाकर मृतक को क्षति पहुंचाई है और वे विभिन्न यानों से हाजीपुर की ओर भाग गए थे । यह वायरलैस संदेश अस्पष्ट था और कारित किए गए अपराध की

प्रकृति को पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं करता था, अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों की शनाख्त को तो प्रकट करता ही नहीं था । जब तक कि और अधिक सूचना प्राप्त न हो जाती कि मृतक की हत्या सही रूप में किस प्रकार की गई है, तब तक न तो अभि. सा. 14 के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में संदेश को दर्ज कराना आवश्यक था और न ही पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह उस संदेश को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में स्वीकार करता । कुछ मामलों में इस न्यायालय द्वारा ऐसी अस्पष्ट सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना गया है । **शेख इसहाक और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में गुलाबी पासवान ने पुलिस थाने में अस्पष्ट सूचना दी कि ग्राम में होहल्ला (लड़ाई-झगड़ा) हो गया है और गोलियां चल रही हैं और पथराव हो रहा है और इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस अस्पष्ट सूचना से संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है और न ही इससे यह प्रकट होता है कि हमलावर कौन है और गुलाबी पासवान द्वारा दी गई ऐसी अस्पष्ट सूचना को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अर्थान्तर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार, **बिनय कुमार सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में रबीन्द्र भगत द्वारा पुलिस को सूचना (प्रदर्श 10/3) दी गई कि स्वर्गीय राम निरंजन शर्मा के पुत्रों ने उसके ग्राम में मकानों और भूसे के ढेरों में आग लगा दी है और गोलियां भी चलाई हैं । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रदर्श 10/3 स्पष्ट रूप से एक अस्पष्ट सूचना है और यह किसी भी संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने की पुष्टि करने के संबंध में अपर्याप्त है । अतः हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई टाइप की हुई पश्चात्वर्ती सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना है न कि वायरलैस संदेश को ।

29. द्वितीय प्रश्न यह है कि हमें यह विनिश्चित करना होगा कि क्या अभि. सा. 14 की टाइप की हुई रिपोर्ट जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना गया है, तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 10.10 बजे अपराह्न में दर्ज कराई गई या नहीं जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है या वास्तव में यह रिपोर्ट 16 दिसम्बर, 1994 को प्रातःकाल सदर पुलिस थाना मुजफ्फरपुर में दर्ज कराई गई थी जैसा कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिवाद किया गया है । हमने इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 14 के साक्ष्य का परिशीलन

[1] (1995) 3 एस. सी. सी. 392.

किया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को लगभग 4.15 बजे अपराह्न में किसी व्यक्ति द्वारा उसके रिवाल्वर से मृतक को क्षतिग्रस्त किए जाने के पश्चात् भीड़ मुख्य मार्ग से लालगंज की ओर भागने लगी और कुछ व्यक्ति हाजीपुर की ओर दौड़े और वह अन्य व्यक्तियों के साथ भीड़ के पीछे-पीछे गया और 6.00 बजे अपराह्न में हाजीपुर पहुंचकर सर्किट हाउस गया और वह वहां पर एक घंटा रुका और इसके पश्चात् वह 7.00 बजे अपराह्न में मुजफ्फरपुर के लिए चल दिया । आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 14 के साक्ष्य को इस संबंध में स्वीकार नहीं किया है कि वह 7.00 बजे अपराह्न में हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुआ था क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बहुत से अन्य साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि वे 9.00 बजे अपराह्न में हाजीपुर के लिए रवाना हुए थे और अभि. सा. 11 ने यह स्वीकार किया है कि वह अर्धरात्रि में 12.00 बजे हाजीपुर के लिए रवाना हुआ था और वह अन्य व्यक्तियों के साथ रात्रि 2.00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचा । यद्यपि अभि. सा. 11 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि हाजीपुर सर्किट हाउस से सभी व्यक्ति 7.00 बजे वापस आए थे, उसने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि वह उपखंड अधिकारी के साथ मध्यरात्रि 12.00 बजे तक थे और वह गरौल, हाजीपुर गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् वह मुजफ्फरपुर वापस चला गया । अभि. सा. 11 ने यह भी कथन किया है कि वह रात्रि में 2.00 बजे सदर पुलिस थाने, मुजफ्फरपुर वापस आया था और जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (अभि. सा. 14) और अन्य अधिकारी भी उसके साथ वापस आए । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभि. सा. 14 अभि. सा. 11 सहित अन्य अधिकारियों के साथ रात्रि में ही 2.00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंच गया था । सदर पुलिस थाना, मुजफ्फरपुर पहुंचने के पश्चात् अभि. सा. 14 ने विस्तृत रूप से टाइप की हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में कुछ और समय लिया । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि सदर पुलिस थाना मुजफ्फरपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसने वहां मौजूद सभी अधिकारियों से सहायता ली और वास्तव में उसने 4-5 अधिकारियों के कथन अभिलिखित किए । उसने यह कथन किया है कि उसने टाइप की हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की और उसे कथनों को पूरा करने के लिए आधा घंटा लगा और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में एक घंटा लगा । अभिलेख पर प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय ने

अभियोजन पक्ष के इस वृत्तांत को स्वीकार नहीं किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 10.10 बजे अपराह्न में सदर पुलिस थाना, मुजफ्फरपुर में दर्ज कराई गई थी और इसके बजाय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य से इस संबंध में युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख पूर्व और समय पूर्व की है । हमें उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है ।

30. अब हम प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई मुख्य दलील पर विचार करेंगे कि जब एक बार उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया था कि साक्ष्य से तारीख पूर्व और समय पूर्व होने के कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर युक्तियुक्त संदेह हो गया है तब उच्च न्यायालय को अभियोजन वृत्तांत पूर्णतया त्यक्त कर देना चाहिए था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उद्धृत किए गए किसी भी मामले में हमने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि इस न्यायालय ने मात्र इस आधार पर संपूर्ण अभियोजन वृत्तांत को त्यक्त कर दिया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख पूर्व और समय पूर्व की है । **गणेश भवन पटेल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है जिसमें इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने में हुए अत्यधिक विलंब और अन्य परिस्थितियों पर इस तथ्य के साथ विचार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बिना किसी समुचित स्पष्टीकरण के विलंब से दर्ज कराई गई है और उसके पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्षकथन विश्वसनीय नहीं है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उद्धृत किए गए **मरुदानल अगस्ती** बनाम **केरल राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में भी इस न्यायालय ने अभियोजन वृत्तांत को मात्र इस कारण से ही अविश्वसनीय नहीं ठहराया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है अपितु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसमें घटना का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है, उसमें साक्षियों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है और उसमें अन्य विषमताएं भी हैं जिनसे अभियोजन वृत्तांत पर गंभीर संदेह होता है । प्रतिररक्षा पक्ष द्वारा अवलंब लिए गए मामले **अवधेश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) में इस निष्कर्ष के अतिरिक्त कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने में हुआ विलंब संदिग्ध है, इस न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि घटना के एक दिन बाद घटना स्थल से खाली कारतूस बरामद किए गए हैं और चिकित्सीय

साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि साक्षियों ने वास्तव में घटना नहीं देखी है और इन सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित नहीं किया है । इसके प्रतिकूल, इस न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मानसिंह और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की तारीख और समय संदिग्ध है तब अभियोजन वृत्तांत कमजोर नहीं होता किन्तु न्यायालय के लिए अभियोजन पक्षकथन के समर्थन में साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है । इस प्रकार, हमें इस मामले में साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित अभियोजन पक्षकथन कहां तक सत्य है ।

31. वर्तमान मामले में, तथ्य यह शेष रह जाता है कि तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को लगभग 4.15 बजे अपराह्न में घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल से जिला मुख्यालय, वाराणसी को सूचना भेज दी गई थी कि छोटन शुक्ला के शवदाह के लिए निकाले गए जुलूस में आए लोगों ने रिवाल्वर से मृतक को क्षतिग्रस्त कर दिया है और विभिन्न यानों से हाजीपुर की ओर भाग गए हैं । अभियोजन पक्षकथन का कम से कम यह भाग, जिसका 6 दिसम्बर, 1994 के प्रातःकाल में अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई पश्चात्वर्ती टाइप की हुई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी उल्लेख है, मिथ्या मानकर त्यक्त नहीं किया जा सकता और न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर यह विनिश्चित करना होगा कि छोटन शुक्ला के शवदाह के लिए निकाले गए जुलूस में लोगों के बीच में ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जो मृतक को क्षति कारित करने के लिए जिम्मेदार हैं ।

32. वास्तव में उच्च न्यायालय ने भी अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संपूर्ण वृत्तांत को स्वीकार नहीं किया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित इस अभियोजन पक्षकथन को खारिज किया है कि विधिविरुद्ध जमाव गठित किया गया था और अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 उस विधिविरुद्ध जमाव के भागीदार हैं जिनका उद्देश्य मृतक की हत्या करना था । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक की कार का जिस भीड़ ने घेराव किया था उसने पथराव करके कार को क्षतिग्रस्त किया और उसमें बैठे व्यक्तियों को

---

[1] (2003) 10 एस. सी. सी. 414.

कार से बाहर खींचकर क्षतियां कारित कीं और उस भीड़ ने विधिविरुद्ध जमाव का रूप ले लिया किंतु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और परिस्थितियों से यह सिद्ध नहीं होता है कि भीड़ में के ऐसे व्यक्तियों का भी सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करना था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जुलूस में आए ऐसे कुछ व्यक्ति जो घटनास्थल के निकट यानों में बैठे हुए थे, यह पता लगाने के लिए यानों से बाहर निकलकर आ सकते थे कि होहल्ला का क्या कारण है किंतु जब किसी भी व्यक्ति ने इस संबंध में ध्यान नहीं दिया कि मृतक इस मार्ग से गुजरेगा तो ये व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं हो सकते थे जिनका सामान्य आशय मृतक की हत्या करना था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इस संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है कि जुलूस में आए व्यक्तियों के पास आयुध थे और घटनास्थल पर जमाव के वास्तविक व्यवहार के संबंध में अपर्याप्त साक्ष्य है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मृतक के चालक और अंगरक्षक ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि सड़क के दोनों ओर अंत्येष्टि जुलूस के दौरान लोगों की भीड़ होने के कारण मृतक की कार सड़क के बाईं ओर से नहीं गुजर सकती थी और इससे यह दर्शित होता है कि मृतक की कार और उसमें बैठे व्यक्तियों पर उस भीड़ द्वारा अचानक हमला किया गया था जो खाबरा ग्राम के निकट अंत्येष्टि जुलूस को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे । उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक के चालक और अंगरक्षक ने अपने साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे यह पता चल पाता कि भीड़ किस कारण क्रोधित हुई और आहतों ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की थी जिस कारण मृतक की हत्या की गई । इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जुलूस में आए व्यक्तियों ने, जो शव के साथ-साथ मोटरयानों में चल रहे थे, विधिविरुद्ध जमाव गठित करने का उनका कोई भी सामान्य उद्देश्य नहीं था और इसलिए अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 को इस आधार पर दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि वे उस विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य हैं जिसका उद्देश्य मृतक या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करना था । हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को ठीक ही खारिज किया है कि अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन दोषसिद्धि के लिए जिम्मेदार हैं ।

33. उच्च न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् अभि. सा. 14 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन वृत्तांत को भी त्यक्त किया है कि अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 ने मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल अधिकारी, चालक और अंगरक्षक अर्थात् अभि. सा. 12, अभि. सा. 13, अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिनका उल्लेख श्रेणी-II में किया गया है, इन साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 7 द्वारा उकसाए जाने के अभिकथन का समर्थन नहीं किया है और पुलिस कार्मिक अर्थात् अभि. सा. 5 और अभि. सा. 9 का उल्लेख श्रेणी-I में किया गया है और इन साक्षियों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं सुना है, जो मृतक की हत्या करने के लिए भटकन शुक्ला को उकसा रहा हो । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभिकथित 17 प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से छह साक्षियों ने उकसाए जाने के बारे में नहीं कहा है और शेष ग्यारह अभियोजन साक्षियों में से छह साक्षियों ने अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 14, यह कथन किया है कि केवल अभियुक्त सं. 1 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । तदनुसार, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि केवल अभियुक्त सं. 1 ने मृतक की हत्या करने के लिए एकमात्र गोली चलाने वाले को उकसाया था और वह दंड संहिता की धारा 109 के अधीन दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है और दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन मृतक की हत्या का दंड पाने के लिए जिम्मेदार है और अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

34. हमने साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन अपराधों का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है । जुलूस के साथ चल रहे 14 साक्षियों में से केवल 4 साक्षियों ने, अर्थात् अभि. सा. 6, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 11, यह कथन

किया है कि अभियुक्त सं. 2 ने अभियुक्त सं. 1 के साथ मिलकर मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । इसी प्रकार, जुलूस के साथ चल रहे 14 साक्षियों में से केवल अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 3 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था और शेष 11 साक्षियों ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 3 ने भी मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए 14 साक्षियों में से मात्र अभि. सा. 7 और अभि. सा. 11 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त सं. 4 ने भी मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था किंतु शेष 12 साक्षियों ने यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 4 ने भी जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । इस न्यायालय ने **जैनुल हक** बनाम **बिहार राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि उकसाए जाने का साक्ष्य स्वयं में एक कमजोर साक्ष्य है और प्रायः लोगों की प्रवृत्ति वास्तविक हमलावर के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी आलिप्त करने की भी होती है कि यह भी व्यक्ति आहत पर हमला करने के लिए हमलावरों को उकसा रहा था और जब तक कि इस संबंध में साक्ष्य स्पष्ट, तर्कसम्मत और विश्वसनीय न हो तब तक उस व्यक्ति के विरुद्ध दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है जिसके संबंध में वास्तविक हमलावर को उकसाए जाने का अभिकथन किया गया है । चूंकि जुलूस के साथ चल रहे 14 अभियोजन साक्षियों में से अधिकांश लोगों ने, जिनमें असैनिक और पुलिस कार्मिक दोनों हैं, अभियोजन के इस वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 ने भी मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था, इसलिए अभियुक्त सं. 2 अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को मृतक की हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा । अतः हमारी राय में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन आरोप से दोषमुक्त करके ठीक ही किया है ।

35. **मसलती** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां दांडिक न्यायालय को अत्यधिक अपराधियों और अत्यधिक आहतों से संबंधित अपराध कारित

करने के मामले में साक्ष्य पर विचार करना होता है, वहां आम तौर पर यह परखना होता है कि दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है यदि केवल दो या तीन या उससे अधिक ऐसे साक्षियों द्वारा समर्थन होता हो जिन्होंने घटना का संगत वर्णन किया है । इस मामले में, 14 में से ऐसे 10 साक्षियों ने, जो जुलूस के साथ चल रहे थे और घटनास्थल के निकट थे, यह संगत वृत्तांत किया है कि अभियुक्त सं. 1 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 6, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10, अभि. सा. 11 और अभि. सा. 14 ने संगत रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. एक ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । शेष चार साक्षी घटनास्थल पर मौजूद हो सकते हैं किंतु उन्होंने किसी न किसी कारण से मृतक पर गोली चलाने के लिए अभियुक्त सं. 1 द्वारा भटकन शुक्ला को उकसाए जाने की बात नहीं सुनी होगी । इसलिए, मात्र इस कारण से कि 14 में से 4 साक्षियों ने अभियुक्त सं. 1 द्वारा उकसाए जाने के तथ्य के संबंध में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है, हम यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 10 साक्षियों ने मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सं. 1 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था ।

36. हमने प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर भी विचार किया है कि इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक पर भटकन शुक्ला द्वारा उस समय गोली चलाई गई थी जब वह जमीन पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था किन्तु चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि गोलियां उस समय चलाई गईं थीं जब मृतक खड़ा हुआ था और इस आधार पर इन 10 साक्षियों का साक्ष्य त्यक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने मृतक पर गोली चलाने के लिए अभियुक्त सं. 1 द्वारा भटकन शुक्ला को उकसाए जाने के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है । हमारा यह निष्कर्ष है कि डा. मुमताज अहमद (अभि. सा. 16) ने तारीख 5 दिसम्बर, 1994 को 4.40 बजे अपराह्न में मृतक के शव का शवपरीक्षण किया था जिन्होंने अपने साक्ष्य में मृतक को पहुंची मृत्यु पूर्व की निम्न क्षतियों का वर्णन किया है :–

> "(i) (क) बाईं भौंह के पार्श्व में अण्डाकार घाव है जिसका व्यास 1/3 इंच है और इस घाव के किनारे उलटे हुए और जले हुए हैं ।
>
> (ख) आन्तरिक गुहा में भौंहों के ठीक ऊपर अर्थात् ललाट पर 3 इंच x 1.2 इंच माप का घाव जो ललाट के मध्य भाग में स्थित है

जिसके किनारे उलटे हुए हैं और इस घाव की गहराई गुहा तक है, इस घाव से ललाटीय अस्थि के टूटे हुए भाग और मस्तिष्क का गूदा बाहर निकला हुआ है ।

विच्छेदन करने पर दोनों घाव एक-दूसरे के साथ मिले हुए प्रतीत होते हैं ।

(ii) बाएं गाल पर एक अण्डाकार घाव है जिसका व्यास 1/4 इंच है और उसके किनारे उलटे हुए हैं ।

विच्छेदन करने पर उर्ध्वहनु (ऊपरी जबड़ा) और अधोहनु (निचला जबड़ा) में अस्थिभंग है और जिह्वा तथा निचले ओष्ठ का आन्तरिक भाग विदीर्ण पाया गया है । गोली बाएं गाल से प्रवेश करती हुई और ऊपरी अंगों को नष्ट करती हुई अण्डाकार गुहा तक गई है ।

(iii) सिर के दाएं पार्श्व कपालीय भाग में एक अण्डाकार घाव पाया गया है जिसके किनारे उलटे हुए हैं और उस पर झुलसन पाई गई है तथा इस घाव का व्यास 1/4 इंच है ;

(ख) सिर के बाएं पार्श्व कपालीय भाग में एक अण्डाकार घाव पाया गया है जिसकी माप 1.3 इंच x 1.5 इंच है और इस घाव की गहराई गुहा तक है, घाव के किनारे उलटे हुए हैं ।

विच्छेदन करने पर दोनों घाव एक-दूसरे के साथ मिले हुए पाए गए हैं तथा करोटि में कई स्थानों पर अस्थिभंग पाया गया है और मस्तिष्क ऊतक कई जगह से विदीर्ण है ।"

अभि. सा. 16 ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि इन तीनों घावों में से दो घाव बाईं ओर और एक घाव शरीर के दाईं ओर है । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 16 ने यह कथन किया है कि :–

"34. बंदूक की गोली मृतक के शरीर में खड़े रहने या लेटे रहने की स्थिति में भी लग सकती है ।

38. क्षति सं. II से यह उपदर्शित होता है कि संभवतः रोगी अपना चेहरा हिलाने की स्थिति में था । मेरी शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि क्षति सं. II कारित होने पर ही क्षति सं. III कारित हो सकती है । क्षति सं. III पहुंचने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति हिल-डुल भी नहीं सकता और इस प्रकार क्षति सं. I कारित नहीं हो सकती । इसके विपरीत भी तर्क देना उचित है । इस प्रकार क्षति सं.

I क्षति सं. II के कारित होने के पूर्व कारित की गई है (साक्षी ने स्वेच्छया अभिसाक्ष्य दिया है कि "कारित की गई है" के स्थान पर "की जा सकती है" का प्रयोग किया जा सकता है)"

अभि. सा. 16 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि बंदूक की गोली व्यक्ति के खड़े रहने या लेटे रहने की स्थिति में भी शरीर में लग सकती है । अभि. सा. 16 ने यह कथन किया है कि क्षति सं. I कारित हो सकती है और उसके पश्चात् क्षति सं. II कारित हो सकती है । इसके अतिरिक्त क्षति सं. II से यह उपदर्शित होता है कि मृतक अपना चेहरा हिलाने की स्थिति में था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि क्षति सं. II के कारित किए जाने के पश्चात् ही क्षति सं. III कारित हो सकती है । इस प्रकार, श्री रंजीत कुमार द्वारा दी गई यह दलील खारिज नहीं की जा सकती है कि मृतक के बाएं गाल पर क्षति सं. II कारित होने के पश्चात् मृतक ने अपना चेहरा घुमाया होगा और उसके पश्चात् उसके चेहरे के बाएं पार्श्व कपालीय भाग में क्षति कारित हो सकती है । अतः हम यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते हैं कि चिकित्सीय साक्ष्य ऐसा है कि उसके आधार पर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य की इस सत्यता को नकारा जा सके कि मृतक पर उस समय गोली चलाई गई थी जब वह जमीन पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था ।

37. अब हम प्रतिरक्षा पक्ष की इस दलील पर विचार करेंगे कि उच्च न्यायालय ने मृतक के चालक और अंगरक्षक क्रमशः अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 के साक्ष्य पर विचार नहीं किया है जिन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । हमने अभि. सा. 17 (चालक) के साक्ष्य का परिशीलन किया है जिसने यह कथन किया है कि जिन लोगों ने जुलूस में भाग लिया था उन्होंने मृतक की कार का घेराव किया और वे "मारो-मारो" के नारे लगा रहे थे और उन्होंने मृतक और उसके अंगरक्षक की कार से बाहर खींचा और उसके पश्चात् उन पर हमला करने लगे किन्तु वह बच गया और यान के पीछे छुप गया और पांच-छः मिनट के पश्चात् जब वह वापस आया तब उसने देखा कि जुलूस वहां नहीं है किन्तु वहां पर पुलिस अपने यानों के साथ मौजूद थी और उसने देखा कि मृतक क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है और मृतक की कार उलटी हुई पड़ी है और इसके पश्चात् मृतक को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल लाया गया और यह साक्षी भी इसी गाड़ी से अस्पताल गया और उसे बाद में यह पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई है । हमने अभि. सा. 21 (अंगरक्षक)

के साक्ष्य का भी परिशीलन किया है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि भीड़ मारो-मारो कहकर चिल्ला रही थी और उन्होंने उसकी, मृतक की और चालक की पिटाई की तथा उनकी गाड़ी को उलट दिया और उन्हें क्षतियां पहुंचीं और थोड़े समय पश्चात् पुलिस वहां पहुंची और भगदड़ मच गई और पुलिस ने मृतक और इस साक्षी को अस्पताल भेजा और तब उसे पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई है । अतः अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 ने मृतक पर गोली चलाने के लिए अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त सं. 2, अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 द्वारा भटकन शुक्ला को उकसाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है । यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 गोली चलाने की घटना से बिल्कुल भी अवगत नहीं थे और उन्हें यह आभास था कि मृतक को कार से खींचने के पश्चात् भीड़ द्वारा हमला किए जाने पर मृतक क्षतिग्रस्त हुआ है । हमारी सुविचारित राय में ऐसा प्रतीत होता है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 को यह मालूम नहीं था कि कार से बाहर खींचने और भीड़ द्वारा पिटाई किए जाने के पश्चात् वास्तव में क्या हुआ था । उनके साक्ष्य के आधार पर, न्यायालय अन्य 10 साक्षियों के इस साक्ष्य को त्यक्त नहीं कर सकता है कि भटकन शुक्ला को अभियुक्त सं. 1 के उकसाए जाने पर उसने अपने रिवाल्वर से मृतक पर गोली चलाई थी क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि मृतक की मृत्यु का कारण गोली से कारित की गई क्षति है न कि भीड़ द्वारा किया गया हमला । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 17 और अभि. सा. 21 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है किन्तु उनके साक्ष्य से भी अभियोजन पक्षकथन अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता कि मृतक पर भटकन शुक्ला द्वारा जो गोली चलाई गई थी वह अभियुक्त सं. 1 द्वारा उकसाए जाने पर चलाई गई थी ।

38. अब हम श्री जेठमलानी द्वारा दी गई इस दलील पर विचार करेंगे कि चूंकि अभियुक्त सं. 1 कंटेसा कार में बैठा हुआ था जो जुलूस के सामने थी और मृतक की हत्या जुलूस के बीचो बीच हुई, इसलिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को असंभावी मानकर त्यक्त कर दिया जाना चाहिए । अभियोजन पक्ष ने अपने साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मृतक पर गोली चलाए जाने के समय पर अभियुक्त सं. 1 घटनास्थल पर था और मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसा रहा था । यदि अभियुक्त सं. 1 न्यायालय को विश्वास दिलाना चाहता था कि घटना के समय पर वह जुलूस के सामने चल रही कंटेसा कार में था न कि घटनास्थल पर, तब उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने

कथन में भी यह प्रतिरक्षा लेनी चाहिए थी और इस प्रतिरक्षा के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करना चाहिए था । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 103 में यह उपबंध किया गया है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा । अभियोजन पक्ष ने अपने अनेक साक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध किया है कि अभियुक्त सं. 1 घटनास्थल पर मौजूद था और उसने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को उकसाया था । यदि अभियुक्त सं. 1 यह चाहता था कि न्यायालय अभियोजन के इस वृत्तांत को संभावी न मानकर खारिज कर दे तब साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियुक्त पर पड़ता है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसने मृतक पर गोली चलाने के लिए भटकन शुक्ला को नहीं उकसाया था । चूंकि उसने इस भार का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 1 को दंड संहिता की धारा 302/109 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करके ठीक किया है ।

39. दंडादेश के संबंध में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि मृतक जिला मजिस्ट्रेट था, उसकी हत्या कार में बैठे हुए एक अन्य जिले में अकस्मात भीड़ द्वारा और अभियुक्त सं. 1 द्वारा उकसाए जाने पर और भटकन शुक्ला द्वारा गोली चलाए जाने पर की गई है और अभियुक्त सं. 1 स्वयं में हमलावर नहीं है इसलिए आजीवन कठोर कारावास और मृत्यु दंडादेश समुचित दंड नहीं होगा । हम उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत हैं और हमारी यह राय है कि यह ऐसा विरल से विरलतम मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय अभियुक्त सं. 1 पर मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करे । हमारी सुविचारित राय में, अभियुक्त सं. 1 आजीवन कठोर कारावास के लिए जिम्मेदार है ।

40. परिणामतः, हमारा यह निष्कर्ष है कि न तो अभियुक्त सं. 1 द्वारा फाइल की गई अपील में और न ही राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलों में कोई सार है, और हम तदनुसार सभी दांडिक अपीलों को खारिज करते हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

अस./अनू.